बोर्ड कार्यालय से वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु दिशा निर्देश तथा नियम एवं शर्तें

(ए) वित्तीय सहायता के लिए आवेदन, परियोजना रिपोर्ट और ऋण स्वीकृति की प्रक्रिया

रा.रा.क्षे.यो.बो. अधिनियम, 1985 की धारा 7(ङ) और 8(ङ) के अनुसार, बोर्ड एनसीआर और सीएमए में अवसंरचना विकास परियोजनाओं के लिए राज्यों और उनके कार्यान्वयन अभिकरणों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। बोर्ड की परियोजना मंजूरी एवं निगरानी समूह (PSMG-I) द्वारा वित्तीय सहायता की मंजूरी दी जाती है।

हालांकि, परियोजनाएँ एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की क्षेत्रीय योजना और संबंधित राज्य सरकार/उनके विभागो, जो भी लागू हो, द्वारा तैयार उप क्षेत्रीय योजना/महायोजना के अनुक्रम में होनी चाहिये। वित्तीय सहायता की मांग करने वाली एजेंसी को तकनीकी, वित्तीय, सामाजिक और पर्यावरणीय पहलुओं को ध्यान में रखते हुए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करके प्रस्तुत करना अनिवार्य है । परियोजना के पर्यावरणीय और सामाजिक पहलुओं को बोर्ड द्वारा अप्रैल, 2010में अपनायी गई पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन प्रणाली (ESMS) के अनुसार तैयार किया जाना आवश्यक है । इस के अनुसार, उधार लेने वाली एजेंसी के द्वारा विधिवत भरे हुए जांच अनुसूची (स्क्रीनिंग चेकलिस्ट) के आधार पर परियोजना को पर्यावरण और सामाजिक पहलू पर वर्गीकृत किया जाता है (प्रारूप **वेबलिंक** http://ncrpb.nic.in/**downloadable.php** पर उपलब्ध) ।

इस के साथ साथ परियोजना को राज्य सरकार की आवश्यक प्रशासनिक और वित्तीय मंजूरी भी आवश्यक है। अधिमानतः परियोजना का कार्यान्वयन/निविदाओ के तहत प्रारम्भ नहीं होनी चाहिये । यह परियोजना के मूल्यांकन की प्रक्रिया को कमजोर करता है और इस तरह के मामलों में, रिपोर्ट में कोई संशोधन नहीं हो पाता । तदनुसार, दोनों, उधार लेने वाली एजेंसी और कार्यान्वयन एजेंसी, जिसे काम पहले से ही प्रदान किया गया है, के लिए कार्य कठिन हो जाता है।

ऋण प्राप्त करने वाली संस्था/कार्यान्वयन एजेंसी को ऋण सहायता के लिए अनुरोध पत्र के साथ विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की तीन प्रतियो के साथ 1 सॉफ्ट कॉपी प्रतिभागी राज्य सरकार के एनसीआर नियोजन एवं निगरानी सेल के माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नई दिल्ली को भेजनी अपेक्षित है। इसके पश्चात, सेल परियोजना का मूल्यांकन कर बोर्ड कार्यालय को परियोजना रिपोर्ट तथा अपना संतोषजनक मूल्यांकन नोट भेजेंगे । यह मूल्यांकन परियोजना के क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय/कार्यात्मक योजना तथा शहर की महायोजना के साथ अनुरूपता, क्षेत्रीय योजना के संदर्भ में परियोजना की तकनीकी-पर्यावरणीय व्यहार्यता के मानदंडो पर किया जायेगा ।

(बी) उधार हेतु पात्र एजेंसियाँ

- शहरी विकास/आवास से सम्बद्ध राज्य सरकार के विभाग अथवा भौतिक और सामाजिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को लागू करने वाले, जैसा कि क्षेत्र की विकास योजना में परिकल्पित है, राज्य सरकार के किसी भी विभाग/एजेंसी- :
  - पावर,
  - जल,
  - सीवरेज,
  - सड़क परिवहन (सड़क एवं आरओबी, बस स्टैंड, ट्रांस्पोर्ट नगर)
  - ड्रेनेज,
  - एसड्ब्ल्यूएम या सार्वजनिक स्वास्थ्य,
  - मेट्रो/आरआरटीएस

  संबंधित राज्य सरकार के वित्त विभाग की सहमति के माध्यम से विशिष्ट परियोजना के लिए राज्य के बजट के माध्यम से धन तथा लेटर ऑफ कम्फर्ट (एलओसी) प्राप्त करने के लिए।
- विकास प्राधिकरण / शहरी सुधार ट्रस्ट
- राज्य औद्योगिक विकास निगम।
- राज्य बिजली प्राधिकरण और वितरण एजेंसियाँ।
- नगर निगम/नगर पालिका/अधिसूचित क्षेत्र समितियाँ / नगर परिषद / नगर पंचायत जो कि एनसीआर में उप-क्षेत्रीय योजना एवं परियोजना योजनाओ का कार्यान्वयन कर रहे है अथवा काउंटर मैग्नेट क्षेत्र का विकास कर रहे है
- मेट्रो रेल निगम / परिवहन निगम / विभाग

वित्त पोषण के लिए पात्र परियोजनाओं के व्यापक प्रकार

1. जल आपूर्ति और स्वच्छता के क्षेत्र- :
   - जल आपूर्ति (स्रोत विकास / उपचार / भंडारण और वितरण)
   - ड्रेनेज और सीवरेज संग्रह एवं निपटान / ठोस अपशिष्ट प्रबंधन / कम लागत में स्वच्छता आदि
2. परिवहन क्षेत्र - सड़को को चौड़ा करना / सुदृढीकरण / सुरंग / पुल / फ्लाईओवर मेट्रो, एलआरटी / एमआरटी / रैपिड रेल / आरआरटीएस आदि
3. पावर सेक्टर- :उत्पादन, एचटी और एलटी हस्तांतरण और वितरण।
4. सस्ता / ईडब्ल्यूएस आवास
5. सामाजिक अवसंरचना परियोजनाएँ: अस्पताल, शैक्षिक संस्थानों, मनोरंजन सुविधा, वधशाला आदि
6. अन्य योजनाएँ जैसा कि परियोजना मंजूरी एवं निगरानी समूह (PSMG) को एनसीआर की क्षेत्रीय योजना 2021 के उद्देश्यों के साथ संगत लगे ।

स्वीकृति की विधि

- उपलब्ध पैनल में शामिल मूल्यांकन एजेंसियों /सलाहकार और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड द्वारा डीपीआर का मूल्यांकन किया जाता हैं।
- प्रारंभिक टिप्पणियाँ कार्यान्वयन एजेंसियों को डीपीआर में संशोधन / समावेश के लिए अग्रेषित की जाती है।
- कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत जवाब पर, डीपीआर में संशोधन हेतु आपसी समझौते पर पहुचने के लिए मूल्यांकन एजेंसी और आरोपण एजेंसी के साथ चर्चा की जाती हैं
- मूल्यांकन एजेंसी / सलाहकार से अंतिम रिपोर्ट प्राप्त होने पर, सचिव (शहरी विकास) की अध्यक्षता में पीएसएमजी की बैठक में परियोजनाओ पर चर्चा एवं अनुमोदन किया जाता है ।

(सी) वित्तीय नियम और शर्ते

(i) वित्त पोषण पैटर्न

एनसीआरपीबी से ऋण - परियोजना की अनुमानित लागत का 75% तक

अनुदान सहायता - जल आपूर्ति और स्वच्छता परियोजनाओं के लिए परियोजना की स्वीकृत लागत का 15% तक, काम पूरा होने पर, बोर्ड द्वारा निर्धारित नियमों व शर्तों की पूर्ति करने पर।

राज्य सरकार / कार्यान्वयन एजेंसी - शेष हिस्सेदारी।

(ii) ब्याज़ की वर्तमान दर

परियोजना का प्रकार/वर्गीकरण	**ब्याज़ दर***
प्राथमिकता प्राप्त अवसंरचना परियोजनाएँ जैसे जलापूर्ति, सीवरेज, सैनिटेशन, ड्रेनेज, एसड्ब्ल्यूएम एवं सड़कें, आरओबी एवं फ्लाईओवर, मेट्रो/रैपिड रेल/आरआरटीएस	7.00% प्रति वर्ष
सस्ता ईडब्ल्यूएस आवास	7.00% प्रति वर्ष
पावर सेक्टर - (हस्तांतरण, वितरण और उत्पादन)	7.50% प्रति वर्ष
अन्य अवसंरचना परियोजनाएँ	8.50% प्रति वर्ष

***ऋण की किश्त का सालाना चुकौती अनुसूची के अनुसार समय पर भुगतान करने पर ब्याज़ की दर में 0.25% की छूट का प्रावधान है**

(iii) ऋण/ब्याज की अदायगी - उधारकर्ता द्वारा ऋण तथा ब्याज़ की रकम सालाना आधार पर चुकौती अनुसूची के अनुसार ऋण आहरण की वार्षिक तारीख पर या उस से पूर्व चुकाया जायेगा । मूल धन और ब्याज़ की अदायगी के लिए जारी ऋण की प्रत्येक किश्त अलग ऋण के रूप में मानी जायेगी ।

- ऋण की अदायगी के लिए अवधि -10 साल तक।
- मूलधन के भुगतान के लिए अधिस्थगन अवधि -2 साल तक

(**3 साल की अधिस्थगन अवधि के साथ 15 साल के ऋण काल** सार्वजनिक स्वास्थ्य पर्यावरण से संबंधित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं जैसे जल आपूर्ति, सीवरेज एवं स्वच्छता जल निकासी, ठोस कचरा प्रबंधन आदि के लिए)

(**5 साल की अधिस्थगन अवधि के साथ 20 साल के ऋण काल** मेट्रो/रैपिड रेल/ आरआरटीएस परियोजनाओं के लिए)

ब्याज के भुगतान के लिए अधिस्थगन अवधि - शून्य

(iv) जुर्माना, पूर्व भुगतान शुल्क, आदि

- दंड ब्याज की दर - अतिदेय राशि पर देरी की अवधि के लिए सामान्य ब्याज़ दर से 2.75% ऊपर।
- पूर्वभुगतान प्रभार - प्रमुख बकाया ऋण राशि का 1%

(v) गारंटी और प्रतिभूति:

- **राज्य सरकार को दिए ऋण के मामले में** वित्त सचिव से ऋण चुकाने के लिए वार्षिक बजट में प्रावधान का वचन, अन्य कोई औपचारिक प्रतिभूति नही
- **यूएलबी/पैरास्टैटल्स को दिए गए ऋण के मामले में** त्रिपक्षीय एस्क्रो समझौता, 'और' राज्य सरकार की गारंटी 'या' बैंक गारंटी 'या' बंधक के माध्यम से परिसम्पत्तियों (assets) पर प्रभार।

(डी) सामान्य नियम और शर्तें

(i) जहां परियोजना में भूमि अधिग्रहण शामिल है, भूमि अधिग्रहण की पुष्टि के बाद ऋण जारी किया जाएगा, ईएसएमएस आवश्यकताओं यानी पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए), प्रारंभिक पर्यावरण परीक्षण (आईईई) और पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) की तैयारी/कार्यान्वयन, एनसीआरपीबी के ईएसएमएस के अनुसार अल्प पुनर्वास योजना की तैयारी / कार्यान्वयन और एसईआईएए/पर्यावरण एवं वन मंत्रालय और सीसी से मंजूरी प्राप्त करने, यदि आवश्यक हो तो।

(ii) उधारकर्ता एजेंसी द्वारा इन सभी योजनाओं के संबंध में प्राप्तियों और व्यय के अलग खातों को बनाए रखा जाएगा और जब तक ऋण पूरी तरह से चुकाया ना जाए हर साल बोर्ड को यह विवरण प्रस्तुत किया जायेगा।

(iii) उधारकर्ता जारी ऋण राशि को जमा, ऋण, शेयर पूंजी या अन्यथा में बोर्ड की पूर्व अनुमति के बिना निवेश नहीं करेगा ।

(iv) ऋण लेने वाला पक्ष बोर्ड / उसके द्वारा नामांकित व्यक्ति(ओं) को निरीक्षण हेतु अपने सभी खातों और सम्बंधित अन्य पुस्तकों और दस्तावेजों को उपलब्ध कराएगा, जिसका उसके द्वारा उल्लेख किया गया हो अथवा किसी भी विधि, उपविधि या नियम के अंतर्गत, जो उसके द्वारा बनाए रखा जाना आवश्यक हो ।

(v) एक योजना के लिए जारी धन का किसी अन्य योजना के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता और उधार लेने वाली एजेंसी प्रत्येक योजना के लिए अलग खाता पुस्तक रखेगी ।

(vi) परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान या उसके पूर्ण होने पर, जो भी पहले हो, अगर कार्यान्वयन एजेंसी को पता चले कि परियोजना के विभिन्न घटकों की स्वीकृत अनुमानित लागत में कमी होने की संभावना है तो, यह कार्यान्वयन एजेंसी का दायित्व है कि वो तुरंत बोर्ड से प्राप्त ऋण में से अतिरिक्त राशि यथानुपात आधार पर गणना कर बोर्ड को वापस कर दे ।

(vii) कार्यान्वयन एजेंसी को समय समय पर निर्धारित प्रपत्र में मासिक/तिमाही आधार पर प्रगति प्रत्यावेदन (रिपोर्ट) तथा उसके साथ साथ ईएसएमएस आवश्यकताओ पर की गई कार्रवाई प्रत्यावेदन (रिपोर्ट) भेजनी होगी ।